निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 192/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

महेन्द्र कुमार पुत्र श्री भंवर लाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री राजेश कुमार नायक आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, जिला जयपुर।

2 रूपचन्द पुत्र किशनाराम बुनकर जाति बलाई, निवासी ग्राम धोलाई तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

3 भंवर लाल पुत्र नारायण जाति बैरवा, निवासी ग्राम मुहाना तहसील, सांगानेर, जिला जयपुर ।

4 गणेश यादव पुत्र बिरधाराम यादव निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

5 सहायक अभियन्ता आर एस ई बी मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

6 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 168/2020 (136/2005) ब उनवानी महेन्द्र बनाम नारायण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. प्रार्थी मनीष शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री रामजीलाल चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 28.02.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 198/2020 (136/2005) ब उनवानी महेन्द्र बनाम नारायण व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 02 की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीलाल चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि कोरोना महामारी के चलते लॉक डाउन होने एवं अदालत में कार्यवाही नही होने से उक्त प्रकरण तारीख पेशी दर तारीख पेशी पर मुख्यालय जयपुर में चलता रहा । दिनांक 14.09.2020

जिला कलक्टर
जयपुर

को उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 23.11.2020 को प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 के कारण दिनांक 23.11.2021 के समस्त प्रकरणों में जनरल तारीख पेशी 20.12.2021 नियत की गई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.12.2021 को उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र को अपनी मनमर्जी से स्वीकार कर जयपुर मुख्यालय में चल रहे प्रकरण को सांगानेर मुख्यालय मे मंगवा कर सुनवाई करना प्रारम्भ कर दिया तथा प्रार्थी वादी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति भी दर्ज कर दी गई और उक्त प्रकरण को उचित कार्यवाही हेतु दिनांक 08.12.2021 नियत कर दी गयी। जब प्रार्थी को अपने वकील से उक्त एक पक्षीय एवं अनुचित कार्यवाही की जानकारी हुई कि आपकी पत्रावली को तो एस डी एम साहब ने सांगानेर मंगवा लिया है और जल्दी जल्दी सुनवाई कर रहे है, तो प्रार्थी ने सांगानेर जाकर मालुमात किया तो, पता चला कि उक्त प्रकरण मे 08.12.2021 को सांगानेर की तारीख पेशी नियत है। प्रार्थी जब तारीख पेशी न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ तो आदेशिका पर उसके हस्ताक्षर करवा कर उसकी हाजरी कर दी गई और पीठासीन अधिकारी ने कहा कि तुम्हारे केस में कोई दम नही है। अप्रार्थी द्वारा तुम्हारे दावे में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसका जबाब दिनांक 13.12.2021 को आवश्यक रूप से पेशी पर दे देना वरना तुम्हारा मुकदमा खारिज कर दूंगा। जिससे प्रार्थी को मातहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नही है। प्रतिवादी संख्या 1 नारायण ने उक्त वाद पत्र में अपने जबाब दावे में यह अंकित किया था कि उसने अपने हिस्से की भूमि में से कुल भूमि प्रतिवादी संख्या 3 गणेश यादव पुत्र बिरधीराम को बेचान कर दी है। इसलिए उसे वाद मे पक्षकार बनाया जावे। उक्त उनवानी वाद मे नये खरीददार द्वारा नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा कर पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र के साथ शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैद्य रूप से बिना सुनवाई किये एक पक्षीय स्वीकार कर लिया गया तथा अब अप्रार्थी प्रतिवादी रूपचन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का जबाब आवश्यक रूप से पेश करने का दबाव बनाया जा रहा है तथा न्यायालय में साज कर प्रार्थी वादी के वाद को बिना विधित रूप से सुनवाई किये बिना खारिज करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 रूपचन्द ने गांव में दिनाक 8.12.2021 को एलानियां धमकी दी है कि हम वादी महेन्द्र की जमीन के बाबत चल रहे सभी मुकदमों को खारिज करा देंगे। एक मुकदमा तो अजमेर में खारिज हो गया। एक मुकदमा 13 तारीख को खारिज हो जायेगा तथा वादग्रस्त भूमि से स्टे हट जायेगा। जिसकी नये खरीददारों ने सारी व्यवस्था कर ली है। अब महेन्द्र कितना भी जोर लगा ले, अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जिससे यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ। प्रार्थी ने अपने हक व अधिकारों की घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा वर्ष 2005 मे अधीनस्थ न्यायालय मे किया जिसे दर्ज रजिस्टर कर दोनों पक्षों को सुन कर अन्तरिम निषेधाज्ञा भी कन्फर्म की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्व आदेश अदालती नोटिस से सभी पक्षकारान को तलब करने के आदेश की पालना किये बगैर तथा नियत तारीख पेशी के बीच ही पत्रावली को बिना सभी पक्षकारों को सूचित किये बिना अवैद्य तरीके से कार्यवाही की जा रही है तथा प्रार्थी के हक व अधिकारों कुठाराघात कर अवैद्य निस्तारण करने की कोशिश की जा रही है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जावेगा तो पुनः नये

जिला कलक्टर
जयपुर

मुद्दमेंबाजी में इजाफा होने की पूर्ण सम्भावना है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है तथा अतिशीघ्र प्रकरण का निस्तारण करने का अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। जिससे प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। अत. उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने वर्ष 2005 में यह वाद प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र में अंतरिम निषेधाज्ञा कन्फर्म की जा चुकी है। प्रकरण पुराना होने माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पुराने प्रकरणों का जल्द से जल्द सुनवाई कर निस्तारण किये जाने के निर्देश है, परन्तु प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता रहता है और यह मिथ्या कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र लगा कर प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरीना कर रहा है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी के समक्ष वाद 2005 से विचाराधीन है। जिसमें अंतरिम निषेधाज्ञा कन्फर्म की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पुराने प्रकरणों का मैरिट पर शीघ्र निस्तारण किये जाने के निर्देश है। इसलिए पीठासीन अधिकारी द्वारा छोटी छोटी तारीख पेशी दी जा रही है। अप्रार्थी अधिवक्ता के कथन की पुष्टि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी से भी होती है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है।

8. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर